सं. एस- 11011/2/2014- एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली, 110003

दिनांक- 11.01.2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव/ सचिव, प्रभारी (ग्रामीण स्वच्छता)
सभी राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र

विषयः एसबीएम-जी दिशानिर्देश के अनुलग्नक 1जी में संशोधन।

महोदया/महोदय,

आप इस बात से अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबधित एक विश्व बैंक परियोजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना को - 'निष्पादनआधारित प्रोत्साहन अनुदान स्कीम' को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देश भी सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु राज्यों को जारी किए जा चुके हैं।

2. इस विश्व बैंक परियोजना के हिस्से के रूप में, विभिन्न प्रशासनिक/वित्तीय क्रियाविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पहल भी की जा रही है। ऐसा ही एक उपाय है सुसंगत वित्तीय नियमावली के अनुपालन के संबंध में इन वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों में एक घटक को शामिल करना। इसका कार्यान्वयन एवं अनुपालन पहले से ही अवश्य हो रहा होगा, तथापि एक सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण उपाय के रूप में, एसबीएम-जी दिशानिर्देश के अनुलग्नक 1जी में क्र.सं. 16 में लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र में निम्नलिखित वाक्या को प्रविष्ट करके लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र में इस बावत एक विशिष्ट उल्लेख किया जा रहा हैः

"संबधित राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी राज्य वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमों और/ अथवा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) और बाद के सरकारी आदेशों (यथा प्रयोज्य) की एसबीएम-जी कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा अनुपालन।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अनुबंध -I छ

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी)

वर्ष 201•-1•

लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

अनुदान प्राप्तकर्तता संगठन का नाम:

क्र. सं.	मुद्दे	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
1	प्राप्ति एंव भुगतान लेखा के अथशेष और अन्तशेष राशि का रोकड़ बही के साथ मिलान करना	
2	स्वीकृत अथशेष का पिछला वर्ष के अन्तशेषके साथ मिलान करना	
3	क्या मोजूदा दिशानिर्देशो का उल्लंघन करते हुए अनुदान -ग्राही अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने इस अवधि के दोरान एक योजना से अन्य केन्द्रीय योजना अतवा राज्य वित्तपोषित योजना में निधयो का अपवर्तन/अंतर -अंतरण किया है? यदि हाँ, तो कृपया उसका ब्यौरा दे।	
4	क्या अनुदाग्रही अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष के दौरान निधियो का कोई दुरूपयोग/ असम्बद्ध व्यय तथा दुर्विनियोजन किया गया है ? यदि है, तो कृपया उसका ब्यौरा दे।	
5	यह योजना के लिए बैंक खातो की केवल निर्धारित संख्या है।	
6	वर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर कोई भी निगेटिव अधिशेष नही है।	
7	क्या निधियो की रिलीज के समय मंत्रालय के स्वीकृति आदेश में कतिपय शर्ते विनिर्दिष्ट की गई है,तथा क्या उन्हें पूरा कर लिया गया है।	
8	योजना संबंधी निधियो को बचत खाते में रखा जा रहा है।	
9	अर्जित ब्याज राशि को योजना निधि में जमा कर दिया गया है।	
10	क्या मौजूद दिशानिर्देशो में यथा - निर्धारित कार्यक्रम प्रयोजनों के लिए ब्याज राशि का सख्ती से उपयोग किया जा रहा है।	
11	कार्यक्रम दिशानिर्देशो के आनुसार, वर्ष के दौरान इस वर्ष के लिए राज्य अंशदान प्राप्त हो गया है।	
12	सभी प्राप्तियो/ पुनर्भुगतान राशि की सही रूप से गणना कर ली गयी है तथा उसे योजना के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।	
13	योजना की निधियो को राज्यों कोषागार में नही रखा जा रहा है।	
14	बैंक सामंजस्यीकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।	
15	**संबधित राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी राज्य वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमों और/ अथवा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) और बाद के सरकारी आदेशों (यथा प्रयोज्य) का एसबीएम-जी कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा अनुपालन।**	
16	विगत लेखा परीक्षक का नाम व पता	

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर..........

पुरा नाम...........

कार्यालय की मुहर..............

दूरभाष...................................

ई-मेल आई डी..............

सनदी लेखाकार की मुहर सहित हस्ताक्षर

पुरा नाम ....

सदस्यता संख्या ....

केग नामावली संख्या तथा वर्ष....

दूरभाष संख्या...............

ई-मेल आई-डी....................